

**न्यायालय:-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-979/2015

संस्थित दिनांक-14.10.2015

फाईलिंग नं.-234503011402015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// **विरुद्ध** //

हीरालाल पिता बालेलाल धुर्वे उम्र 40 साल, जाति दुलिया,
निवासी ग्राम चरचेण्डी आवास मोहल्ला थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-19/05/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-11/09/2015 को दिन के 11.30 बजे स्थान ग्राम चरचेण्डी प्रार्थिया का मकान थाना बिरसा अन्तर्गत कुल्हाड़ी को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुये आहत सोनकुंवरबाई धुर्वे को कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादिया सोनकुंवरबाई ने दिनांक-11.09.2015 को पुलिस थाना बिरसा आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने घर पर बैठकर टोकना बनाने का कार्य कर रही थी तभी उसका पति हीरालाल आया और उसने अपने पति को कहा कि वह शराब पीकर घुमता है। इस बात पर उसका पति उसे अश्लील गालियाँ देने लगा और हाथ-मुक्को से मारपीट करने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने उसे पैरे के घुठने के नीचे कुल्हाड़ी से मारा जिससे उसे खून निकलने लगा। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थिया की उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बिरसा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-95/15, धारा-294, 323, 506 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506, 324 के अन्तर्गत चालान न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान प्रार्थिया/आहत सोनकुंवरबाई धुर्वे ने आरोपी से राजीनामा किया। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 के अपराध से उन्मोचित किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-11/09/2015 को दिन के 11.30 बजे स्थान ग्राम चरचेण्डी प्रार्थिया का मकान थाना बिरसा अन्तर्गत कुल्हाड़ी को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुये आहत सोनकुंवरबाई धुर्वे को कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— प्रार्थिया/आहत सोनकुंवरबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानती है। आरोपी उसका पति है। घटना उसके कथन से 6-7 माह पुरानी है। उसका आरोपी से घरेलु बात को लेकर मौखिक वाद-विवाद हो गया था जिसकी उसने थाना बिरसा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो प्रदर्श पी-1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी से राजीनामा हो जाने के कारण वह कार्यवाही नहीं चाहती है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से उसे मारा था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में उसने आरोपी के द्वारा कुल्हाड़ी से मारने वाली बात बतायी थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने पुलिस कथन में यह बात लेख नहीं कराई थी कि आरोपी ने घटना दिनांक को उसके साथ कुल्हाड़ी से मारपीट की थी।

6— प्रकरण में अभियोजन द्वारा घटना के संबंध में आहत सोनकुंवरबाई (अ.सा.1) का न्यायालयीन परीक्षण कराया गया। प्रार्थिया/आहत ने स्वयं यह कहा है कि घटना दिनांक को उसका आरोपी से मौखिक वाद-विवाद हुआ था आरोपी ने उसे कुल्हाड़ी से नहीं मारा था। उपरोक्त स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अन्तर्गत अपराध कारित किया जाना सदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

7— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आहत सोनकुंवरबाई को कुल्हाड़ी से मारकर

स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपी हीरालाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

8- प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

9- प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

बैहर
दिनांक-19/05/2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)